



विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

No. RTI/551/838/2014

Dated: 11/07/2014

To,

**Shri Zaheed
S/o Abdul Sattar,
Dist. Karagar, Roshnabad,
Haridwar, Uttrakhand**

Sir,

Please refer to your RTI application dated 30/06/2014, received on 04/07/2014 seeking information under the RTI Act, 2005.

2. Please note that only citizens of India are entitled to seek information under RTI Act. Since you are not a citizen of India your application cannot be accepted under the Act.
3. If you are aggrieved with this response, you may file an appeal with Shri Rajesh Vaishnaw, Director & Appellate Authority, Room No. 4095, A-Wing, Jawaharlal Nehru Bhavan, 23-D, Janpath, New Delhi-110011 (Tel: 011-49015363, Fax: 011-49015364) within 30 days of receipt of this letter.


(Meera Sisodia)

Under Secretary (RTI)
Tel: 49015226
Fax: 49015227

O/C
1/11/14
11/7/14

सेवा में,

श्रीमती सुसमाखराजीजी
माननीय विदेश मंत्री महोदया
भारत सरकार दिल्ली

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहते वाकत प्रार्थना,
महोदया सादर विनम्र निवेदन है कि डि० 21/11/2013 के दिल्ली द्वारा प्रकाशित
समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि भारत में अब तक सजायाफ्त
कैदियों के हस्तांतरण के बारे में ब्रिटेन, मरीशस, बुर्मा, कंबोडिया, मिस्र
फ्रांस आदि देशों सहित बंगलादेश के साथ भी संधिगो की है,

जिसमें प्रार्थी निम्न सूचनाएँ प्राप्त करना चाहता है।

- (1) यह कि बंगलादेश के सजायाफ्त कैदियों के हस्तांतरण के लिए जो कि भारत के जेलों में बंद हैं क्या कार्यवाई की गयी इसके लिए कौन
विभाग काम कर रहा है,
- (2) यह कि प्रार्थी बंगलादेशी है तथा पिछले सात बर्षों से उत्तराखण्ड
के जिला हरिद्वार कारागार में सजा काट रहा है बंगलादेश जाने हेतु
किस विभाग की प्रार्थना पर गेज सकता है जिससे कि शीघ्र हस्तांतरण
हो जाय,
- (3) यह कि बंगलादेशियों के स्थानांतरण हेतु सरकार द्वारा
क्या-क्या प्रक्रिया की गयी है, पूर्ण सूचना

अतः निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध कराने
जाने की कृपा की जाय,

संलग्न-1- फोटो आदि

2of 472095

2- समाचार पत्र (कॉपी) का प्रती

दिनांक - 30/06/2014

प्रार्थी : जादिव

जादिव 5/0 अब्दुल सत्तार
जिला कारागार, शेरनाबाद हरिद्वार
कसं. उत्तराखण्ड
द्वारा -